Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to include Kokborok language of Tripura in the Eighth Schedule to the Constitution -laid.

श्री रेबती त्रीपुरा (त्रिपुरा पूर्व): मेरी सरकार से मांग है कि त्रिपुरा राज्य की राज्य भाषा (कॉकब्रॉक) को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए । 19 जनवरी, 1979 को त्रिपुरा राज्य सरकार ने (कॉकब्रॉक भाषा) को राज्य भाषा की स्वीकृति प्रदान की । त्रिपुरा के 9 सम्प्रदाय के लोग कॉकब्रॉक भाषा का प्रयोग करते हैं । त्रिपुरा के हर स्कूल एवं विश्वविद्यलाय में कॉकब्रॉक भाषा पढ़ाई जाती है । पूर्व में राज्य सरकार ने कॉकब्रॉक भाषा के विकास हेतु पहले से ही कॉकब्रॉक लैंगवेज, डायरेक्ट्रेट की स्थापना कर चुका है । आदिकाल एवं वर्तमान समय से बहुत सारे चलचित्र, किताबों को भी वर्तमान समय में कॉकब्रॉक लैंग्वेज में प्रकाशित किया जाता है । क्राक ब्राक भाषा में एक फिल्म को अर्न्तराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है । त्रिपुरा समेत पूरे देश में 18 लाख लोग इस क्राकबॉक भाषा का प्रयोग करते हैं । क्राकबॉक सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है । पुरातनकाल में त्रिपुरा के 184 राजाओं ने राज्यभाषा के रूप में कॉकब्रॉक भाषा का प्रयोग किया था । कॉकब्रॉक भाषा के विकास हेतु राज्य सरकार ने प्रसिद्ध भाषा विद् पवित्र सरकार की अध्यक्षता में कॉकब्रॉक लैंग्वेज कमेटी का भी गठन किया था । परन्तु इन सब के बावजूद कॉकब्रॉक लैंगवेज को राष्ट्रीय भाषा की स्वीकृति नहीं मिली । इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि कॉकब्रॉक भाषा के विकास एवं संरक्षण हेतु, संविधान संशोधन विधेयक लाकर कॉकब्रॉक भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए ।